(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2710–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–13 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ प्रकरण कमांक 18/अ–27/2011–12.

1– लालसिंह दत्तक पुत्र बाबरूजी बावरी
2– नाहर सिंह पुत्र मानसिंह बावरी
निवासीगण ग्राम हरमाला
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मानसिंह पुत्र भूरा जी बावरी (मृतक) द्वारा वारिसान
(1) श्रीमती सीताबाई विधवा मानसिंह
निवासी ग्राम हरमाला
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
(2) श्रीमती शांतिबाई पुत्री स्व. मानसिंह
पत्नी मदनलाल निवासी ग्राम अकाली
तहसील मनासा जिला नीमच
2– बलवंत सिंह पुत्र मान सिंह बावरी
3– गणपत पुत्र मान सिंह बावरी
निवासीगण ग्राम हरमाला
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/14 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 मृतक मानसिंह द्वारा तहसीलदार, मल्हागढ़ जिला मंदसौर के समक्ष उभय पक्ष के सह स्वामित्व की भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–27/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि भारतीय स्टेट बैंक में बंधक होने से बटवारा नहीं किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–6–13 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि बैंक में बंधक होने के कारण उसका बटवारा किया जाना संभव नहीं है, इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा समस्त भूमियों का बटवारा किया जा रहा है, जबकि सर्वे कमांक 151 एवं 152 पूर्व में ही बाबू जी के हिस्से में आ चुकी हैं, इसलिए उक्त भूमियों का बटवारा नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इसी भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण कमांक 17/अ–17/2011–12 तहसील न्यायालय में प्रचलित हुआ था, जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–7–12 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि बैंक में बंधक होने से बटवारा कार्यवाही बंद कर दी गई । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमि बैंक में बंधक रखने से बटवारे की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि बटवारा सह खातेदारों के मध्य होना है । यह भी कहा गया कि बैंक का ऋण निरंतर अदा किया जा रहा है, और शीघ्र ही सम्पूर्ण ऋण अदा कर दिया जायेगा । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि एक सहखातेदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां भारतीय स्टेट बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया गया है, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नाधीन भूमियां बंधक मुक्त होने के सम्बन्ध में बैंक से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र

लिये भूमियों का बटवारा किया जाता है तो अन्य सहखातेदारों के हित प्रभावित होंगे । अतः तहसीलदार को चाहिए था कि जिस सहखातेदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां बैंक में बंधक रखी गई हैं, उसे बटवारा से पूर्व सम्पूर्ण ऋण अदा कर बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–13 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर